

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग / नर्स-2(F) / स्थाई0 / एस-66 / 2019 /

दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
अजमेर ।

विषय:- स्व0श्रीमती स्वाती शर्मा, पत्नि श्री कमल तिवाडी, नर्स-2 के  
स्थायीकरण/नियमितिकरा आदेश जारी करने बाबत  
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1932 दिनांक 27.02.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में स्व0श्रीमती स्वाती शर्मा, पत्नि श्री कमल तिवाडी, नर्स-2 के स्थायीकरण/नियमितिकरण आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक प01(2)/वित्त/नियम/2006 पार्ट-1 दिनांक 11.06.114 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी को एक वर्ष से अधिक का अवकाश केवल अपवादस्वरूप एवं अपरिहार्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत किया जा सकता है। कार्मिका का दिनांक 05.05.15 को स्वर्गवास हो चुका है। कार्मिका का दिनांक 12.10.11 से 05.05.15 तक की अवधि का अकार्य दिवस मानते हुए असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है उक्त अकार्य अवधि सेवा के किसी प्रयोजन के लिए मान्य नहीं है।

*sd*

(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग / नर्स-2(F) / स्थाई0 / एस-66 / 2019 / 1078

दिनांक:- 14/8/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- स्व0 श्रीमती स्वाती शर्मा, के आश्रित श्री कमल तिवाडी नर्स-2, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

*sd*

(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर